भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3278
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

जल विद्युत परियोजनाएँ

3278. श्री अरुण भारतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत घोषित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ख) नामित उपभोक्ताओं के लिए हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व के प्रावधान क्या हैं;

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा उनका बिजली की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) बाढ़ नियंत्रण और भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितनी बजटीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए सड़कों, पुलों और ट्रांसमिशन लाइनों जैसी सक्षम अवसंरचना विकसित करने में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले उपायों के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को कार्यालय ज्ञापन **(अनुबंध-I)** जारी किया, जिसमें अन्य उपायों के साथ-साथ बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना शामिल था।

(ख) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2023 के राजपत्र अधिसूचना **(अनुबंध-II)** के माध्यम से गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की खपत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नामित उपभोक्ताओं अर्थात विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्य निर्दिष्ट किए हैं।

(ग) : भारत सरकार ने जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले उपायों के संबंध में दिनांक 08.03.2019 को कार्यालय ज्ञापन **(अनुबंध-I)** जारी किया, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ टैरिफ युक्तिकरण उपाय शामिल हैं, जैसे परियोजना की अवधि को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद टैरिफ की बैक लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने

के लिए विकासकर्ताओं को छूट प्रदान करना, ऋण चुकौती अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाना और 2% वृद्धिशील टैरिफ का प्रावधान। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ विनियम, 2024 के तहत जलविद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं, जैसे उपयोगी कार्यकाल के पहले 15 वर्षों तक मूल्यह्रास की वसूली और शेष मूल्यह्रास को शेष उपयोगी अवधि पर वितरित करना, इसके अलावा जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों को टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट दरों से कम मूल्यह्रास चार्ज करने की अनुमति दी गई है ताकि टैरिफ की फ्रंट लोडिंग कम हो, दक्षता के लिए प्रोत्साहन एवं नई भंडारण/पॉडेज (जलाशय) परियोजनाओं आदि के लिए इक्विटी पर 17% के अनुकूल रिटर्न (आरओई) का प्रावधान। इन उपायों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27.02.2023 को दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एमपीपी) के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए ₹6159.40 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है, जिसे एनएचपीसी को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जानी है। बाढ़ नियंत्रण और भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं संस्थापित क्षमता	परियोजना विकासकर्ता	राज्य	विद्युत मंत्रालय द्वारा अब तक दिया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	दिबांग एमपीपी (2880 मेगावाट)	एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश	546.86

(ङ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता के दायरे को दिनांक 30.09.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से बढ़ा दिया गया है, जिसमें बिजलीघर से निकटतम पूलिंग पॉइंट तक पारेषण लाइन के निर्माण (राज्य या केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के पूलिंग सब-स्टेशनों के उन्नयन सहित), रोपवे, रेलवे साइडिंग और संचार अवसंरचना के लिए होने वाली लागत को शामिल किया गया है।

बजटीय सहायता स्वीकृत/मूल परियोजना लागत के सापेक्ष 25% वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के पश्चात 'प्रतिपूर्ति' के रूप में है। जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं संस्थापित क्षमता	परियोजना विकासकर्ता	राज्य	विद्युत मंत्रालय द्वारा अब तक दिया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	लुहरी चरण-I एचईपी (210 मेगावाट)	एसजेवीएनएल	हिमाचल प्रदेश	42.75
2.	धौलासिद्ध एचईपी (66 मेगावाट)	एसजेवीएनएल	हिमाचल प्रदेश	6.38
			कुल	49.13

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3278

अनुबंध-I

फा.सं. 15/2/2016-एच-I (भाग)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल विद्युत क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु उपाय।

मंत्रिमंडल सचिवालय से दिनांक 07.03.2019 के अ.शा.पत्र सं.11/सीएम/2019(iii) द्वारा प्राप्त संप्रेषण के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं:

2. एलएचपी (>25 मेगावाट की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना:

2.1 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी, अर्थात् >25 मेगावाट की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया जाता है। तथापि, एलएचपी, लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपीज़), अर्थात् 25 मेगावाट तक की क्षमता की परियोजनाओं को उपलब्ध वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति, एनबीडब्ल्यूएल स्वीकृति, जैसी वैधानिक स्वीकृतियों और संबंधित संचयी प्रभाव मूल्यांकन एवं क्षमता अध्ययन करने के लिए कोई विशेष व्यवहार के लिए स्वत: ही पात्र नहीं हो जाएंगे। एलएचपी के लिए विद्युत मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय बना रहेगा।

3. गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर पृथक इकाई के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ):

3.1 जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर पृथक इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है। एचपीओ में इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद चालू हुए सभी एलएचपी के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की असंबद्ध क्षमता (अर्थात् बिना पीपीए की) को शामिल किया गया है। यह एचपीओ (इसके लिए निर्धारित प्रतिशतता बढ़ाने के बाद) मौजूदा गैर-सौर आरपीओ के भीतर होगा ताकि एचपीओ के समावेशन के पश्चात् अन्य नवीकरणीय स्रोतों के लिए मौजूदा गैर-सौर आरपीओ पर प्रभाव न पड़े। वार्षिक एचपीओ लक्ष्यों की ट्रेजेक्टरी जल विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित क्षमता अभिवृद्धि योजनाओं के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी। एचपीओ को प्रचालनरत करने के लिए टैरिफ नीति तथा टैरिफ विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

4. जल विद्युत टैरिफ कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय:

4.1 परियोजना का कार्यकाल 40 वर्ष तक बढ़ाने, ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2% की वृद्धिशील टैरिफ की बैक लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के लिए विकासकर्ताओं को लचीलापन प्रदान करने सहित टैरिफ युक्तिकरण उपाय।

4.2 परियोजना के उपयोगी कार्यकाल के बाद समतलीकृत टैरिफ की गणना सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के आधार पर की जाए और इसके बाद, ऐसी अवधि के लिए जल विद्युत के प्रापण हेतु, जो निर्दिष्ट

वर्षों से कम न हो, दीर्घावधिक पीपीए (उत्पादक द्वारा लिए गए ऋण के लिए पुनर्भुगतान योजना पर इस प्रकार निर्भर करते हुए कि ऋण के अधिकांश भाग का ऐसे पीपीए की अवधि के दौरान भुगतान कर दिया जाए), के लिए वर्ष-वार टैरिफ का निर्धारण, उनकी व्यवहार्यता के अनुसार और ऋणदाताओं के साथ तय की गई ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों पर निर्भर करते हुए विकासकर्ताओं और डिस्कॉमों पर छोड दिया जाए, बशर्ते कि-

(क) आवदेन दायर करते समय जल विद्युत के उत्पादक द्वारा पूर्वानुमानों सहित ऐसी पूर्ण गणना प्रस्तुत की जाएगी; और

(ख) उपयुक्त विनियमक आयोग द्वारा अग्रिम अनुमोदन।

5. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता:

5.1 भविष्य में स्थापित किए जाने वाले भंडारण एचईपी के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण घटक के लागत की गणना दिशा-निर्देशों के अनुरूप तकनीकी एजेंसियों अर्थात् सीडब्ल्यूसी आदि द्वारा की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण/भंडारण लागतों के लिए अपेक्षित राशि उचित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी)/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के बाद विद्युत मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से जारी की जाएगी।

6. समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता:

6.1 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के निधियन के लिए विद्युत मंत्रालय के बजटीय अनुदान के माध्यम से बजटीय बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यह सहायता इस कार्यालय ज्ञापन की अधिसूचना के बाद निर्माण शुरू करने वाली परियोजनाओं पर लागू होगी। यह बजटीय सहायता पीआईबी/सीसीईए द्वारा मौजूदा नियमों/उचित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी। ऐसी सड़कों और पुलों के लिए ऐसी अनुदान की सीमा निम्नानुसार होगी:

क) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट
ख) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. बेंजामीन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 23324357
ई-मेल: ben.gangte@nic.in

1. अध्यक्ष, सभी राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/राज्य विद्युत यूटिलिटी
2. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/आयुक्त (विद्युत)
4. विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
5. अध्यक्ष, सीईआरसी
6. सभी एसईआरसी के अध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
4. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
6. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7. सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
8. सीईओ, नीति आयोग
9. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय
10. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

प्रतिलिपि - सूचनार्थ:

1. अ.शा.पत्र सं. 11/सीएम/2019(iii) दिनांक 07.03.2019 से प्रभावी निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक, प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/एफए/ईए, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
4. सभी निदेशक, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक (तकनीकी) एनआईसी सेल, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए अनुरोध।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियंता (आर एंड आर), विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि टैरिफ विनियमों में उपर्युक्त पैरा 3.1, 4, 4.1 तथा 4.2 में उल्लिखित उक्त टैरिफ युक्तिकरण उपायों को सम्मिलित करने के लिए और उक्त अन्य पैराग्राफों के लिए उपयुक्त परिवर्तन हेतु भी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के अनुसार सीईआरसी/एसईआरसीज को उचित निदेश जारी करें।
2. अध्यक्ष, सीईए को उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249637
CG-DL-E-23102023-249637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4438] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945
No. 4438] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4617(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ढ) और (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा या फीडस्टॉक के रूप में अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा) के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा तथा अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण के संबंध में विभिन्न अभिहित उपभोक्ताओं के लिए गैर-ज़ीवाश्म स्रोतों के विभिन्न प्रकारों के उपभोग का भिन्न हिस्सा और अन्य अभिहित उपभोक्ता जैसे निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ता या आबद्ध उपयोगकर्ता जो उसके विस्तार तक अनुज्ञप्तिधारी वितरण से भिन्न अन्य स्रोतों से बिजली का उपभोग करते हैं, निम्न सारणी उनकी कुल इंगित ऊर्जा उपभोग के हिस्से के प्रतिशत को, विनिर्दिष्ट करती है

सारणी

क्र .सं.	वर्ष	पवन नवीकरणीय ऊर्जा	जल नवीकरणीय ऊर्जा	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा*	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	कुल नवीकरणीय ऊर्जा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	**29.91%**
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	**33.01%**
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	**35.95%**

4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	**38.81%**
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	**41.36%**
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	**43.33%**

टिप्पण 1: * पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक सारणी में दिए गए का आधा होगा और इन राज्यों का शेष घटक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित किया जाएगा।

टिप्पण 2: पवन नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी ।

टिप्पण 3: जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाएं [जिसके अंतर्गत पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) भी हैं] से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी:

परंतु, यह कि, जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य/डिस्कॉम को प्रदान की जा रही नि:शुल्क बिजली से भी पूरी की जा सकती है:

परंतु, यह और कि, जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति भारत से बाहर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से भी पूरी की जा सकती है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अलगअलग मामले के - आधार पर अनुमोदित किया जाए।

टिप्पण 4: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति केवल 10 मेगावाट से कम आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा से पूरी की जाएगी और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सौर संस्थापना के अधीन सभी कॉन्फ़िगरेशन (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर स्थापना और किसी अन्य कॉन्फ़िगरेशन के पीछे) सम्मिलित होंगी।:

परंतु, यह कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अनुपालन को सामान्यत: ऊर्जा (किलोवाट घंटा इकाइयों) के निबंधनों के अनुसार माना जाएगा:

परंतु, यह और कि अभिहित उपभोक्ता की दशा में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनों के संबंध में उत्पादन डाटा प्रदान करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट की गई क्षमता को, प्रति दिन 3.5 यूनिट प्रति किलोवाट (किलोवाट घंटा/किलोवाट/) के गुणक द्वारा ऊर्जा के निबंधनों अनुसार वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पण 5: अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति टिप्पण 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा से पूरी की जा सकती है और 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व आरंभ हुई सभी डब्ल्यूपीपी और जल विद्युत परियोजनाएं [जिसके अंतर्गत पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) हैं] ऊर्जा समाविष्ट करेगा, जिनमें नि:शुल्क बिजली भी शामिल है ।

2. किसी विशिष्ट वर्ष में अनुबद्ध पवन नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की उपलब्धि में किसी भी कमी को जल नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, जो उस वर्ष के लिए और विपर्ययेन उस ऊर्जा घटक से अधिक है।

3. उस वर्ष में पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन अतिशेष अधिक ऊर्जा उपभोग को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक का हिस्सा माना जा सकता है।

4. किसी विशिष्ट वर्ष में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन किसी भी अधिक ऊर्जा उपभोग का उपयोग, अनुबद्ध पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है ।

5. अभिहितउपभोक्ता, जो निर्बाध या आबद्ध विद्युत संयंत्र वाले उपभोक्ता हैं, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत के बावजूद विनिर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार उनकी बाध्यताओ को पूरा करेंगे।

6. विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग लक्ष्यों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4, तारीख 24 मई , 2022: में प्रकाशित, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार सीधे या प्रमाणपत्र के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

परंतु, यह कि विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग लक्ष्यों में किसी भी कमी को अननुपालन माना जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

7. ब्यूरो अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के अनुपालन से संबंधित डाटा अनुरक्षित करेगा और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत होगी और उस समय तक, विद्युत मंत्रालय के तारीख 19 सितम्बर, 2022 के शुद्धिपत्र के साथ पठित, आदेश संख्या 9/13/2021-आरसीएम, तारीख 22 जुलाई, 2022,के पैरा 5 से 14 में विनिर्दिष्ट आरपीओ प्रक्षेपवक्र लागू रहेगा।

[फा. सं. 9/13/2021-आरसीएम]

अजय तिवारी, अपर सचिव

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 3278
अनुबंध-III

जलविद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने के लिए विशिष्ट उपाय

1. **टैरिफ की फ्रंट लोडिंग को कम करने के उपाय:** वर्ष 2019-24 टैरिफ अवधि तक, जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के उपयोगी कार्यकाल के पहले 12 वर्षों के लिए मूल्यह्रास की वसूली स्ट्रेट-लाइन पद्धति (@ 5.28%) पर आधारित थी और शेष मूल्यह्रास को शेष उपयोगी कार्यकाल पर वितरित किया जाना था।

   वर्ष 2024-29 टैरिफ अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियमन, 2024 के तहत, टैरिफ की फ्रंट लोडिंग को कम करने के लिए, विशेष रूप से नई परियोजनाओं के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें स्ट्रेट-लाइन पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास की वसूली को उपयोगी जीवन के पहले 15 वर्षों (15 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि को 15 वर्ष मानते हुए) तक बढ़ा दिया गया है और शेष मूल्यह्रास को शेष उपयोगी कार्यकाल पर वितरित किया जाएगा। दिनांक 31.3.2024 को मौजूद परियोजनाओं के लिए कोई बदलाव नहीं है।

   इसके अतिरिक्त, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों को टैरिफ विनियमन, 2024 में निर्दिष्ट दरों से कम मूल्यह्रास चार्ज करने का विकल्प दिया गया है ताकि टैरिफ की फ्रंट लोडिंग को कम किया जा सके। टैरिफ विनियमन, 2024 में पेश किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

   "बशर्ते कि मौजूदा जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, उत्पादन कंपनी, लाभार्थियों की सहमति से, टैरिफ के फ्रंट लोडिंग को कम करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट I और परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर मूल्यह्रास लगा सकती है।"

2. **दक्षता के लिए प्रोत्साहन:** टैरिफ विनियमन उन जलविद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है जिनका कार्यनिष्पादन मानक मापदंडों से बेहतर है। यह कुशल ऑपरेटरों को पुरस्कृत करता है और उन्हें अपने कार्यनिष्पादन और संयंत्रों के उपयोग को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को बाजार से विद्युत की महंगी खरीद के लिए होने वाली लागत की बचत हो सकती है। जलविद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

   क) यदि प्राथमिक आवृत्ति प्रतिक्रिया 30% की सीमा से अधिक प्रदान की जाती है तो क्षमता शुल्क के अधिकतम 3% तक का अतिरिक्त वार्षिक स्थित शुल्क।
   ख) रन-ऑफ रिवर जलविद्युत उत्पादन स्टेशन को प्रोत्साहन राशि 50 पैसे/किलोवाट घंटा की दर से देय होगी जो दिन (24 घंटे) के दौरान औसत बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा से अधिक पीक घंटों में बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा के अनुरूप होगी।
   ग) द्वितीयक ऊर्जा प्रभार दर ₹ 1.20/यूनिट से बढ़ाकर ₹ 1.30/यूनिट कर दी गई।

3. **इक्विटी पर अनुकूलित रिटर्न (आरओई):** नई भंडारण/जलाशय परियोजनाओं के लिए आरओई 17% निर्धारित किया गया है, जबकि मौजूदा परियोजनाओं में पुरानी दरें (16.50%/15.50%) बरकरार रखी गई हैं।

4. **बीमा लागतों का पृथक्करण:** बीमा की बढ़ती लागत (जैसे अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण) को देखते हुए, अब प्रतिस्पर्धी बोली और विवेकपूर्ण जांच के आधार पर बीमा व्यय को अलग से अनुमति दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि टैरिफ गणना वास्तविक लागतों को अधिक प्रतिबिंबित करती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव को रोका जा सकता है।

5. **स्थानीय अवसंरचना के लिए समर्थन:** स्थानीय अवसंरचना के विकास के लिए 10 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक की राशि, जिससे परियोजना में देरी, लागत वृद्धि और समय की अधिकता कम होगी।

6. **गैर-टैरिफ आय की शेयरिंग:** जल विद्युत उत्पादन कंपनियों के पास भूमि बैंक और अन्य सक्षम अवसंरचना जैसी परिसंपत्तियों के रूप में पर्याप्त संसाधन हैं, जिनका उपयोग गैर-मुख्य राजस्व, इको-पर्यटन आदि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, इको-पर्यटन को और मजबूत करने के लिए जल विद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, इको-पर्यटन से गैर-टैरिफ आय को साझा करने का प्रावधान किया गया है:

   "84. गैर-टैरिफ आय की शेयरिंग: उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली के मामले में भूमि या भवन के किराये, इकोटूरिज्म, स्क्रैप की बिक्री और विज्ञापनों से प्राप्त गैर-टैरिफ शुद्ध आय को उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी और लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों के बीच, जैसा भी मामला हो, 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा।"

7. इसके अतिरिक्त, सीईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों का साझाकरण) विनियम 2020 संशोधनों सहित के तहत, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित विद्युत विनियमों के तहत निर्दिष्ट ट्रेजेक्टरी के अनुसार पारेषण प्रभारों की छूट के लिए पात्र हैं।

****